अध्याय – 19

सामाजिक वानिकी

(Social Forestry)

सामाजिक वानिकी से अर्थ खाली पड़े स्थानों पर बहुपयोगी वृक्ष लगाने से है जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ–साथ क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में ईंधन, चारा लकड़ी और छोटे–मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द दिया गया था। यद्यपि देश के सभी हिस्सों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चालू करने के लिए कृषि मंत्रालय ने एक बड़ी योजना बनाई थी।

वन सम्पदा देश की ऐसी निधि है जो पुनरोपयोगी संसाधन उपलब्ध कराकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

सामाजिक वानिकी एक ऐसा यंत्र है, जिससे एक साथ कई समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। सामाजिक वानिकी से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाए, तो ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति तो होगी ही साथ ही साथ वातावरणीय प्रदूषण, आंधी–तूफान, बाढ़, सूखा तथा मृदा अपरदन से भी निजात पाई जा सकती है तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक आवास भी उपलब्ध हो सकते हैं।

औद्योगिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बावजूद आम नागरिकों की समस्यायें कम नहीं हुई है। कृषि के क्षेत्र में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की समस्यायें पहले से अधिक विकराल रूप धारण करने लगी है। मौसम चक्र में परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी, कम बरसात, अलनीनों प्रभाव, प्रदूषित पर्यावरण, धरती के तापमान में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में बढ़ता छिद्र तथा बिजली–पानी के संकट ने देश के सामने विकट चुनौतियाँ उत्पन्न की है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकीय सन्तुलन बिगड़ गया है। इस परिस्थिति में इन समस्त समस्याओं के समाधान स्वरूप सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकती है, जिसे प्रोत्साहित कर सरकार स्थानीय स्तर से पारिस्थितिकीय सन्तुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है।

सामाजिक वानिकी समाज, पंचायत एवं वन विभाग का ऐसा समन्वय है, जो रक्षित वनों पर समाज के भार को कम करता है तथा मानव शक्ति को वनोत्पादन की ओर प्रोत्साहित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में अब जबकि समाज के सर्वांगीण विकास की महती जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था के मजबूत कन्धों पर दे दी गई है, पंचायत अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित कर सकती है।

भारत में सामाजिक वानिकी को सर्वप्रथम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या–12 के तहत अपनाया गया। इसके अन्तर्गत तीन प्रमुख कार्यक्रम है–

1. बंजर भूमि में मिश्रित बागान लगाना।
2. विनिष्ट वनों में पुनः वनारोपण करना।
3. सुरक्षा पेटियाँ बनाना।

सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्य हैं –

1. नवीकरण द्वारा ईंधन प्राप्त कर गोबर का प्रयोग ईंधन के बजाय खाद के रूप में करना, साथ ही रक्षित वनों में पशुचारण न हो इसके लिए ऐसी वनस्पतियों का विकास करना जिनका पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जा सके।
2. भारत में इमारती लकड़ियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों की अन्धाधुन्ध कटाई की गई है, जिससे पर्यावरण पर खतरा उत्पन्न हुआ है। अतः सामाजिक वानिकी के द्वारा ऐसे पौधों का विकास करना है जिससे कीमती एवं उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त की जा सके तथा पारिस्थितिकी तन्त्र का जैव–विविधता द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया जा सके।

3. देश के खाद्य संसाधनों में वृद्धि हो सके इसके लिए भूमि संरक्षण तथा खेतों की उर्वरता को बढ़ाकर भोज्य सामग्री उपलब्ध करना।
4. चूंकि हरियाली का जीवन से गहरा सम्बन्ध है इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर सजावटी एवं छायादार वृक्ष को विकसित करना।

सामाजिक वानिकी ऐसी योजना है जिससे चौतरफा पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। एक ओर तो इससे ईंधन, चारा एवं उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होगी दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर भार भी कम हो सकेगा।

वस्तुतः प्रत्येक वर्ष लगभग 23.5 करोड़ घन मीटर ईंधन की लकड़ी वनों से काटी जाती है जबकि वनों की स्थाई क्षमता करीब 4.8 करोड़ घन मीटर है जबकि उत्पादन क्षमता 1.2 करोड घन मीटर है। अतः अब समय आ गया है कि सामाजिक वानिकी को थोड़ा और परिमार्जित कर सरकार बेकार की पड़ी भूमि पर इसे प्रतिबद्ध होकर विकसित करे। अन्यथा पर्यावरण के संकट भयावह परिणाम दे सकते हैं।

गाँवों में ईंधन के लिए वनों से लकड़ी काटने पर प्रतिबन्ध हो। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ लगभग 40 प्रतिशत भूमि पर जंगल थे, जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह आधे (19 प्रतिशत) से भी कम रह गए। वर्ष 1989–2003 के बीच भारत में कुल भूमि पर लगभग 20 प्रतिशत ही वन के थे जबकि इन वर्षों में भी सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास वनों की सुरक्षा हेतु किये गए।

जहाँ एक ओर विकसित राष्ट्र को अत्यधिक उपयोग और पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाली जीवन शैलियों के लिए दोषी ठहराया जाता है, वहीं हम भी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने में पीछे नहीं हैं। इस परिस्थिति में समाज, पंचायत एवं वन विभाग का काम आपसी गठबन्धन, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित कर बड़ी मात्रा में इन समस्याओं से निजात दिला सकते है। वस्तुतः सामाजिक वानिकी एक ऐसी बहुउद्देशीय योजना है, जिसके सम्पूर्ण क्रियान्वयन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही साथ समाज के वातावरण को भी प्रदूषण रहित एवं अनुकूल बनाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वानिकी को मुख्यतया तीन वर्गों में विभक्त किया गया है – कृषि, शहरी तथा ग्रामीण वानिकी।

1. कृषि वानिकी – कृषि वानिकी के अन्तर्गत फसल उत्पादन के साथ–साथ वृक्षारोपण का भी प्रावधान है। इसमें फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे तथा सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है। फसलों तथा वृक्षों की परस्पर सफलता के लिए जरूरी है कि कृषि फसलों के अनुरूप वृक्ष प्रजातियों का चुनाव किया जाए। इस चुनाव में स्थान विशेष की मिट्टी, वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इस तरह कृषि वानिकी खेतों का सामान्य पैदावार व गुणवत्ता को प्रभावित किये बिना ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनानी है। चूंकि ग्रामीण समाज परम्परागत कृषि को ही अपनाने पर जोर देता है और जोखिमपूर्ण तथा लम्बी अवधि वाली खेती को अपनाने में उदासीन होता है। अतः पंचायत का यह दायित्व बनता है कि वे अपने क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहित करें तथा इस तरह की कृषि हेतु सम्मान योजना का सूत्रण व क्रियान्वयन कर अपने क्षेत्र में सामाजिक वानिकी को विकसित करें। इसमें सरकारी अनुदान को छोटे किसानों तक पहुंचाकर पंचायत अपने इस दायित्व का निर्वहन कर सकती है।

2. शहरी वानिकी – शहरी वानिकी का लक्ष्य शहरी पर्यावरण में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। अतः शहरों और कस्बों के पार्कों, घरों, सार्वजनिक मार्गों व खाली पड़ी भूमि पर सजावटी व आकर्षक किस्म के फलदार पौधे लगाये जाते हैं। यह पेड़–पौधे शहर की सुन्दरता तो बढ़ाते ही हैं, वहाँ के प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ भी करते हैं।

3. ग्रामीण वानिकी – ग्रामीण वानिकी को दूसरे शब्दों में विस्तार वानिकी भी कहते हैं। ग्रामीण वानिकी के अन्तर्गत सामुदायिक भूमि, पंचायत भूमि, बंजर भूमि तथा सड़कों, रेलवे लाईनों, नहरों आदि के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसके अन्तर्गत उत्खनन से विकृत क्षेत्रों को पुनः उपयोगी बनाना, ग्रामीण सड़क निर्माण तथा अन्य कुटीर व लघु उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु वृक्षों का विकास करना शामिल है। कृषि वानिकी के विपरीत इस वानिकी में प्रस्तुत भूमि पर स्वामित्व सामुदायिक होता है।

समुचित सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने हेतु सरकारी स्तर पर पंचायत से अधिक उपयुक्त कोई और दूसरा अभिकरण नहीं हो सकता है। कारण यह है कि पंचायत समाज के मध्य में स्थित है और वह किसानों की आवश्यकता एवं उनकी समस्याओं से भलीभांति परिचित है। अतः समेकित योजना एवं चरणबद्ध तरीकों से पंचायत, सामाजिक वानिकी के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया है। अतः पंचायत, स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से तथा सरकारी निर्देशों की पालना व क्रियान्वयन करके सचमुच पर्यावरण के अनुकूल वानिकी को विकसित कर सकती है।

भारत में वृक्षों के रूपान्तरण एवं पुनरूत्थान की असीम सम्भावनाएं हैं। चूंकि सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत किसी क्षेत्र विशेष में वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चुनाव स्थानीय लोगों की उपयोगिता तथा जलवायु कारकों यथा – तापमान, आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है अतः पंचायत, जा कि एक लोकतान्त्रिक संस्था है, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका

का निर्वाह कर सकती है। वह स्थानीय कृषि तकनीकों को विकसित कर सकती है तथा जरूरत पड़ने पर प्रायोगिक तौर पर सामुदायिक भूमि पर नयी कृषि तकनीक को आमन्त्रित कर सकती है।

यूं तो भारत में सर्वत्र नाइट्रोजन की कमी को देखते हुए नाइट्रोजन पौधों का ही चुनाव किया जाना बेहतर है फिर भी सामाजिक वानिकी के तहत चुनी हुई अधिकतर प्रजातियाँ प्रायः जल्दी तैयार होने वाली, अधिक उपजाऊ, सूखे को सहन करने वाली तथा बहुउद्देशीय होती है। साथ ही साथ ये लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्त्रोत भी हो सकते हैं। जैसे – रेशमकीट पालन, मधुमक्खी पालन, टसर एवं जेट्रोफा की खेती, फल उत्पादन, मेन्था की खेती, फूल की खेती तथा लाख निर्माण आदि जैसे कुछ उपयोगी वनोत्पाद।

इस प्रकार सामाजिक वानिकी पर्यावरण की जरूरतों के अनुकूल रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाऐं भी रखता है। आज सामाजिक वानिकी को पारिस्थितिक प्रणाली तथा पर्यावरण के पर्याय के रूप में मान लिया गया है जबकि पंचायत ग्रामीण विकास की प्रमुख संस्था है। यदि इन दोनों के घनिष्ट सम्बन्धों को अंगीकार कर लिया जाए तो इससे बहुत सारे रचनात्मक प्रभाव सामने आऐंगे। जैसे – जलीय सन्तुलन में सुधार, मृदा उर्वरता मे सुधार, वायु के आर्द्रता धारण में वृद्धि, पेड़–पौधों के लगने से मृदा अपरदन में कमी, चारागाहों का विकास, मरूस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण से वन विस्तार आदि।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक वानिकी एक ऐसा तंत्र है, जिससे एक साथ कई समस्याओं से मुक्ति पायी जा सकती है। पंचायत के द्वारा अगर इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाए, तो ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति तो होगी ही साथ ही वातावरणीय प्रदूषण, आंधी–तूफान, बाढ़, सूखा तथा मृदा अपरदन से भी निजात पायी जा सकती है तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक आवास भी उपलब्ध हो सकते है। हमें इस दिशा में आवश्यक सामाजिक लामबन्दी के लिए पंचायतों एवं ग्राम सभाओं सरीखी जमीनी स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं से लाभ उठाने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. सामाजिक वानिकी समाज, पंचायत एवं वन विभाग का एक ऐसा समन्वय है, जो रक्षित वनों पर समाज के भार को कम करता है तथा मानव शक्ति को वनोत्पादन की ओर प्रोत्साहित करता है।
2. सामाजिक वानिकी से ईंधन, चारा एवं उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होगी तथा बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर भार भी कम हो सकेगा।
3. सामाजिक वानिकी को मुख्यतया कृषि, शहरी एवं ग्रामीण वानिकी में विभक्त किया गया है।
4. सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत अधिकतर प्रजातियां प्रायः जल्दी तैयार होने वाली, अधिक उपजाऊ, सूखे को सहन करने वाली एवं बहुद्देशीय होती हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. भारत में सामाजिक वानिकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया–
   (अ) पांचवी पंचवर्षीय योजना
   (ब) छठी पंचवर्षीय योजना
   (स) आठवी पंचवर्षीय योजना
   (द) चौथी पंचवर्षीय योजना
2. इनमें से कौन सामाजिक वानिकी में सम्मिलित नहीं है–
   (अ) कृषि वानिकी (ब) शहरी वानिकी
   (स) वन वानिकी (द) ग्रामीण वानिकी

अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न

1. सामाजिक वानिकी को परिभाषित कीजिये।
2. भारत में सामाजिक वानिकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया और इसके अन्तर्गत कौनसे कार्यक्रम रखे गये?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्य लिखिये।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामाजिक वानिकी को परिभाषित कर, उसके प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिये।

उत्तरमालाः 1 (ब) 2 (स)